न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 21/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
चम्पालाल उर्फ चम्पकलाल ओझा पुत्र जयशंकर ओझा जाति ब्राहम्ण निवासी पाडीव के वारिश एवं का0मु0 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र चम्पालाल उर्फ चम्पकलाल ओझा जाति ब्राहम्ण निवासी पाडीव तहसील सिरोही हाल मुम्बई जरिये पावर ऑफ एटार्नी हॉल्डर राजुभाई पुत्र हकमाजी जाति सुआरा निवासी ऊड तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जितेन्द्रसिंह राठौड, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 4.12.17

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर सहायक जिलाधीश सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2004 चमपालाल बनाम मफतलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.09.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसके वाद संख्या 176/1993 थे। उक्त वाद में अपीलाण्ट द्वारा मौजा पाडीव के खसरा नम्बर 103 रकबा 05 बिस्वा भूमि तथा खसरा नम्बर 104 की 20 बीघा 08 बिस्वा भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री में खसरा नमबर 104 की आराजी का रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर टंकण त्रुटी से 08 बिस्वा ही दर्ज किया। जिसे दुरूस्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये खारिज किया गया है। मातहत अदालत द्वारा टंकण सम्बन्धी उक्त त्रुटी के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन ही नही किया तथा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर प्रार्थना पत्र खारिज किया। अपीलाण्ट द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर खसरा नम्बर 104 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा होना स्पष्ट अंकित है, किन्तु निर्णय में 20 बीघा दर्ज नही किया गया है, जो एक टंकण

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प सिरोही

सम्बन्धी त्रुटी है व उसे दुरूस्त करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही होते हुए भी प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है, जो सर्वथा गलत एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश को अपास्त कराते हुए मूल वाद संख्या 176/1993 चम्पालाल बनाम मफतलाल के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.1994 में खसरा नम्बर 104 की आराजी का रकबा 08 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 104 का रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा दुरूस्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। मूल वाद में दिनांक 31.03.1994 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके संशोधन हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष 28.06.2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश पारित होने के 10 वर्ष विलम्ब से पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 09/2004 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, साथ ही अपील को अन्दर म्याद शुमार कराने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट का मुख्य अनुतोष यह है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 176/93 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.1994 में खसरा नम्बर 104 रकबा 8 बिस्सा के स्थान पर 20 बीघा 08 बिस्वा दर्ज कराया जावे। इस पर मातहत अदालत के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर विधिवत सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। मातहत अदालत द्वारा जैर अपील निर्णय में पूर्व में पारित निर्णय को रेखांकित करते हुए, बाद विवेचना प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2004 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2011 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 4.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही